फिरोजाबाद–षिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद।

पत्रांकः 11/09 /वि0प्रा0–मानचित्र/ दिनांकः 02/06/2010

अनुज्ञा–पत्र

सेवा में,

श्री हरीशचन्द वर्मा, श्रीमती आरती वर्मा,
श्रीमती छाया वर्मा, श्रीमती कुमकुम वर्मा,
श्रीमती सुषमा वर्मा, चौबे जी का बाग, फिरोजाबाद
द्वारा
मै0 वीनस सैशियेट व्हीकल्स सर्विसेज प्रा0 लि0,
ई0–74, फ्रेन्डस काम्पलैक्स, जवाहर पार्क,
नई दिल्ली–110092

आप द्वारा खसरा संख्या 25 व 26 ग्राम दौकेंली तथा खसरा संख्या–113 खलीलगंज क्षेत्रफल 15878.59 वर्ग मी0 पर प्रस्तावित पुनरीक्षित आवासीय तलपट मानचित्र सं0–11/09 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है

(स्वीकृति मानचित्र संलग्न है)।

1– यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है इसके पश्चात नवीनीकरण करना होगा।

2– मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

3– जिस प्रयोजन के लिए तलपट मानचित्र की अनुमति दी जा रही है उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अन्तर्गत अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

4– अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य निर्धारित समय में सम्बन्धित विभागों के मानक के अनुरूप ही कराया जायेगा।

5– हस्तानान्तरण के पूर्व, उक्त कॉलौनी में कराये जाने वाले विकास कार्यो के रख–रखाव की जिम्मेदारी आप डेवलपर/कालोनाइजर की होगी।

6– कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगायेंगे जिसमें कॉलौनी का नाम मानचित्र सं0 तथा वैधता की तिथि दर्शायी जायेगी।

7– विकास कार्य मानकों के अनुसार न कराये जाने पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

8– प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत बैंक गारण्टी (मानचित्र के अनुसार) विकास कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार अवमुक्त की जा सकेगी।

9– लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्ष आदि लगाना आवश्यक होगा।

10– अग्नि शमन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर फायर हाइड्रेन्ट आदि की व्यवस्था करनी होगी तथा पूर्णता/अन्तिम प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

11– निर्माण अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद भी परिवर्तन किया जायेगा।

12– निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा उसके पश्चात् ही भू–खण्ड/भवन का कब्जा किसी को हस्तानान्तरित करेगें।

13– कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत कराने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

14. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के पत्र सं0 1549/एन.ओ.सी.–83/10, दिनांक 18.01.2010 के प्राविधानों के अनुसार कार्य में उनका समावेश करना होगा।

15–. शासनादेशानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।

16. निर्माण/विकास कार्य का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

17– निर्माण में जो मुख्य निर्माण समाग्रियों सीमेन्ट, स्टोनग्रिट, ईंट कोर्स एवं मार्टर तथा कन्ट्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिये जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

18– यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषनजक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नही किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

19. प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबन्ध व निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

20– यदि एन.एच.ए.आई. द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सचिव
फिरोजाबाद–शिकोहाबाद
विकास प्राधिकरण,फिरोजाबाद।